रजिस्ट्री सं० डीएल-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 380] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 3, 1996/आषाढ़ 11, 1918
No. 380] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 3, 1996/ASADHA 11, 1918

SECRETARIAT LIBRARY

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
बीमा प्रभाग
अधिसूचना
नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1996

का. आ. 475 (अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—
 (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) स्कीम, 1996 है ।
 (2) यह 1 नवम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

2. साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1975 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) :—
 (1) खंड (छ) के उप-खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :—
 (i) "अध्यक्ष" के पद के मामले में "निगम का प्रबन्ध निदेशक" और कंपनी के "अध्यक्ष सह-प्रबंधक निदेशक" के मामले में, केन्द्रीय सरकार ;

 (2) खंड (ट) में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

 परन्तु जहां निगम का अध्यक्ष, निगम का प्रबन्धक-निदेशक या कंपनी का अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक, यथास्थिति, अध्यक्ष / प्रबन्ध-निदेशक/ अध्यक्ष सह-प्रबन्धक निदेशक के पद पर नियुक्ति से ठीक पूर्व निगम या कंपनी का कोई कर्मचारी था, तब यथास्थिति, निगम के अध्यक्ष, निगम के प्रबन्ध-निदेशक या कंपनी के अध्यक्ष सह-प्रबन्धक निदेशक को भी इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए किसी संविदा, करार या नियुक्ति-पत्र या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के निबंधनों के अधीन रहते हुए निगम या कंपनी का कर्मचारी भी समझा जाएगा ।

 (3) खंड (ठ) के उप-खंड (iii) में "सेवानिवृत्ति से पूर्व" शब्दों के लोप किया जाएगा ।

(4) खंड (ण) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

परन्तु खंड (ट) के परन्तुक में उल्लिखित कर्मचारियों के संबंध में "अधिसूचित" से वह तारीख अभिप्रेत होगी जिसको यह संशोधन स्कीम राजपत्र में प्रकाशित की जाती है, और

(5) खंड (त) के उप-खंड (ख) में, मद (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

(v) खंड (ट) के परन्तुक के अन्तर्गत आने वाले मामले में 1960=100 की श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक संख्या 1148 तक संगणित मंहगाई भत्ता, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी के समुचित वेतन को यथा लागू होगा ।

3. उक्त स्कीम परिशिष्ट 1 में, (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), और (vii) को क्रमशः (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) और (viii) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रविष्टि (ii) से पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

(i) "निगम के अध्यक्ष निगम के प्रबन्ध-निदेशक और कंपनी के अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक केन्द्रीय सरकार"

[फा. सं 2 (4)/बीमा-III/94-(ii)]
सी. एस. राव, संयुक्त सचिव (बीमा)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

1. उक्त स्कीम के लागू होने की बाबत निगम का अध्यक्ष, निगम का प्रबन्ध-निदेशक या कंपनी की अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक, जो, ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व यथास्थिति, निगम या कंपनी का कोई कर्मचारी था, स्पष्टीकरण आवश्यक हो गया है । तदनुसार, स्कीम को 1 नवम्बर, 1993 तक प्रभावी रूप से संशोधित किया जा रहा है ।
2. प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से, भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी चार समनुषंगी कंपनियों के किसी भी कर्मचारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पण :—मूल योजना का.आ. संख्या 585 (अ) दिनांक 28 जून, 1995 के अधीन प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
INSURANCE DIVISION
NOTIFICATION
New Delhi, the 3rd July, 1996

S.O. 475 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following scheme, to amend the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995, namely :—

1. Short title and commencement :

(1) This Scheme may be called the General Insurance (Employees') Pension (Amendment) Scheme, 1996.
(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1993.

2. In Paragraph 2 of the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995 (hereinafter referred to as the said Scheme) :—

(1) Sub-clause (i) of clause (g) shall be substituted as follows :—

"(i) in the case of posts of Chairman', 'Managing Director' of the Corporation and in the case of 'Chairman-cum-Managing Director' of the Company, the Central Government;" ;

(2) to clause (k), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that where the Chairman of the Corporation, Managing Director of the Corporation or Chairman-cum-Managing Director of the Company, was an employee of the Corporation or the Company, immediately preced-

ing his appointment to the post of Chairman/Managing Director/Chairman-cum-Managing Director as the case may be, then such Chairman of the Corporation, Managing Director of Corporation or Chairman-cum-Managing Director of the Company shall also be deemed to be an employee of the Corporation or the Company for the purposes of this scheme, as the case may be, subject to the terms of any contract, agreement or letter of appointment or directions issued by the Central Government."

(3) in sub-clause (iii), to clause (1), the words "before retirement", shall be deleted ;

(4) to clause (o), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that the 'notified date' in relation to employees mentioned in proviso to clause (k) shall mean the date on which this Amendment Scheme is published in the Official Gazette." ; and

(5) in sub-clause (b) of clause (p) after item (iv), the following item shall be added, namely :—

"(v) in a case covered by the proviso to clause (k), the dearness allowance calculated upto Index Number 1148 in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100 shall be as applicable to the appropriate pay of a Central Government Employee".

3. In the said Scheme, in Appendix I the entries (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) shall be re-numbered as (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) and (viii) respectively and before the entry (ii) as so re-numbered the following entry shall be inserted, namely :—

"(i) Chairman of the Corporation, Managing Director of the Corporation and Chairman-cum-Managing Director of the Company.	Central Government."

[F.No. 2 (4)/Ins. III/94-(ii)]
C.S. RAO, J. .Secy. (Insurance)

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. Clarifications have been necessitated in regard to the applicability of the said Scheme to a person appointed as Chairman of the Corporation, Managing Director of the Corporation or Chairman-cum-Managing Director of the Company, who, immediately preceding such appointment, was an employee of the Corporation or the Company, as the case may be. The Scheme is being accordingly amended with effect from 1st November, 1993.

2. It is certified that no employee of the General Insurance Corporation of India and its four Subsidiary Companies is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

FOOT NOTE : The Principal Scheme was published vide S.O. No. 585 (E), dated 28-6-1995.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi — 1996